39

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 05/2025 दायरा दिनांक 15.04.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

गुड्डीबाई पुत्री रणजीता जाति सहरिया निवासी दौलतपुरा हाल मुकाम रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां, राज0

— अपीलान्ट

—: बनाम :—

1.रूपचन्द पुत्र फूल्या जाति सहरिया निवासी दौलतपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां राज0
2.ज्यानाबाई पत्नि स्व0 फूल्या जाति सहरिया निवासी दौलतपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां राज0
3.भागचन्द पुत्र कंचीलाल जाति सहरिया निवासी दौलतपुरा तहसील किशनगंज जिला—बारां राज0
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला—बारां राज0

— रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :—

श्री सतीश शर्मा :— अभिभाषक, अपीलान्ट।
एक्सपार्टी :— रेस्पोडेण्टगण।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 08.01.2008 ग्राम दौलतपुरा पटवार हलका सुवांस तहसील किशनगंज

निर्णय **दिनांक 15.07.2025**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 08.01.2008 ग्राम दौलतपुरा को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि :—नामान्तरण संख्या 378 दिनांक 8.01.2008 वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का सुंवास, तहसीदार किशनगंज द्वारा तस्दीक किया गया है, नामान्तरण अनुसार आराजी वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का सुंवास तहसील किशनगंज जिला—बारां की खाता सं0 31 ख0सं0 112/7 रकबा 20 बीघा जिसके नये सेटलमेन्ट बाद खाता सं0 106 ख0सं0 131 रकबा 3.2400 है0 दर्ज रेकार्ड है। यह कि उक्त वर्णित आराजी पूर्व में अपीलान्ट की माता गुलाबबाई पत्नि स्व0 रणजीता के नाम खाते दर्ज थी, अपीलान्ट की माता गुलाबबाई की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में जरिये इन्तकाल सं0 378 गुलाबबाई के स्थान पर जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टगण 1 ता 3 एवं मृतक फूलां पत्नि कंचीलाल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट

मृतक गुलाबबाई की पुत्री है तथा मृतक की विधिक वारिस है लेकिन राजस्व कर्मचारी एवं रेस्पोडेन्टगण ने छल कपट कर अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोडेन्टगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये तथा अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही के कारण दर्ज नही हो सका, जिसके कारण अपीलान्ट अपनी माता गुलाबबाई से विरासत मिलने वाली आराजी से वंचित हो गई, इसलिये इन्तकाल संख्या 378 दिनांक 8.01.2008 खिलाफ कानून होने से निरस्त करने योग्य है।

यह कि वस्तुस्थिति इस प्रकार है उक्त आराजी अपीलान्ट की माता गुलाबबाई के खाते की है, जिसमें जरिये फौती इन्तकाल गुलाबबाई की एकमात्र वारिस अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन सहवन से राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया जबकि अपीलान्ट अपनी माता गुलाबबाई की जायज पुत्री एवं वारिस है जो अपना नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है तथा उक्त इन्तकाल सं0 378 को खारिज करवाकर नवीन इन्तकाल दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यह कि इन्तकाल तस्दीक करते समय राजस्व कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो ने मृतक गुलाबबाई के वारिसान के बारे में सम्पूर्ण पूछताछ या छानबीन नही की तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया नामान्तरण सं0 378 तस्दीक किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिये तहसीलदार किशनगंज द्वारा विधि के मान्य सिद्धान्तो से विपरीत नामान्तरण तस्दीक किये जाने से नामान्तरण संख्या 378 दिनांक 08.01.2008 आरंम्भत शून्य होने से निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्ट सहरिया जाति की अशिक्षित महिला है अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी दिनांक 18.03.2025 को हल्का पटवारी से जानकारी करने पर हूई तो उसी दिन नकल नामान्तरण प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नकल एवं अन्य सभी दस्तावेजात मिलने उपरान्त अपील अवधि मध्य पेश है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश है।

रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट की माता गुलाबबाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल सं0 378 गुलाबबाई के स्थान पर जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टगण 1 ता 3 एवं मृतक फूलां पत्नि कंचीलाल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट मृतक गुलाबबाई की पुत्री है तथा मृतक की विधिक वारिस है, उक्त आराजी अपीलान्ट की माता गुलाबबाई के खाते की है, जिसमें जरिये फौती इन्तकाल गुलाबबाई की एकमात्र वारिस अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जबकि अपीलान्ट अपनी माता गुलाबबाई की जायज पुत्री एवं वारिस है जो अपना नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी हैं।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट की माता गुलाबबाई की मृत्यु उपरान्त इन्तकाल सं0 378 गुलाबबाई के स्थान पर जमाबन्दी में रेस्पोडेन्टगण 1 ता 3 एवं मृतक फूलां पत्नि कंचीलाल का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्तकाल को तहसीलदार

किशनगंज ने बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल खोलते समय गुलाबबाई के वारिसान अपीलान्ट पुत्री जीवित मौजूद है। इस कारण बिना जांच पडताल किये खोला गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 08.01.2008 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम दौलतपुरा का इंतकाल नं. 378 दिनांक 08.01.2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 378 दिनांक 08.01.2008 की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)